उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु अभिनव प्रस्ताव आमंत्रण हेतु

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

"आजीविका भवन"

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

तपोवन रोड़, रायपुर, देहरादून

वेबसाइटः **www.usrlm.uk.gov.in** ईमेलः **ceouksrlm.gmail.com** फोन न0: 0135–2786789

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

आजीविका भवन, तपोवन रोड़, रायपुर, देहरादून

www.usrlm.uk.gov.in ईमेलः **ceouksrlm.gmail.com** फोन न0 : 0135–2786789

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, देहरादून के द्वारा राज्य की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु ग्रामीण जनजाति महिलाओं के क्षमता विकास हेतु तकनीकी रुप से सक्षम सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते है। इच्छुक संस्थायें अपना प्रस्ताव दिनांक 16.05.2020 अपरान्ह 3.00 बजे तक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तपोवन रोड़, रायपुर, देहरादून में जमा कर सकते है। परियोजना की विस्तृत जानकारी www.usrlm.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

//ह0//

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

1. **प्रस्तावना**

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, देहरादून द्वारा राज्य की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के रुप में संगठित कर उनकी आजीविका में अभिवृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक उन्नयन हेतु जनजातीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार नवाचार परियोजनाओं के संचालन के लिए के उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, देहरादून के माध्यम से संचालित किया जाना है। इस नवाचार के द्वारा राज्य में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से क्षमता विकास करते हुए सक्षम एव कुशल बनाने के साथ–साथ आजीविका प्रदान करते हुए उनकी आय में वृद्धि करना है। जिसके लिए विभिन्न सेस्थाओं से नवाचार परियोजना प्रस्ताव आमन्त्रित कर उन्हें सूचीबद्व करते हुए उन्हें सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों को चयनित नवाचार प्रस्ताओं को स्वीकृती हेतु प्रेषित किया जाना है। इसके लिए राज्य में कार्यरत ऐसी ऐजेन्सी एंव संस्थायें जो कि विगत तीन साल से महिलाओं विशेषतः अनुसूचित जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं आजीविका संवर्द्धन से जुड़ी हों वह विस्तृत प्रस्ताव के साथ आजीविका मिशन के कार्यालय में आवेदन कर सकती है।

2. **उद्‌देश्य**

- राज्य की महिलाओं को क्षमता विकास करते हुये आजीविका संवर्द्धन तथा स्वरोजगार की व्यवस्था करना।
- जैविक एवं परम्परागत खेती को बढावा देना ।
- स्वरोजगार स्थापना हेतु लाभार्थियों को बैंक एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों के माध्यम से वित्तीय समावेशन कराना।
- वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता हेतु जागरुकता प्रशिक्षण।
- शिशु एवं महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु जागरुक करना।

3. **क्रियान्वयन हेतु कियान्वयन ऐजेन्सी का चयन तथा संचालन**

कियान्वयन संस्थाओं का चयन अभिरुचि की अभिव्यक्ति में दी गयी चेकलिस्ट सूची के आधार पर सूचीबद्व करते हुए आजीविका मिशन, रायपुर, देहरादून के द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा किया जायेगा।

4. **प्रस्तावों का चयन**

यूएसआरएलएम के द्वारा राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति गरीब परिवारों की आजीविका सुधार हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से नवाचार प्रस्तावों के आमन्त्रित किया जाता है। इस परियोजना का उद्‌देश्य राज्य के अंदर निवासरत जनजाति परिवारों के आर्थिक–सामाजिक स्वावलम्बन एवं उन्ययन है। इस

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, देहरादून नोडल विभाग है। तकनीकी रुप से सक्षम एवं क्रियांन्वयन योग्य प्रस्तावों को प्रेषित करने वाली संस्थाओं का चयन सक्षम समिति के द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

नवाचार प्रस्तावों को प्रेषित करने वाली सरकारी/गैर सरकारी संस्थाएं सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत अथवा उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता एक्ट 2003 के तहत पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से प्रस्ताव आमन्त्रित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं विभागीय बेवसाइट के माध्यम से आंमन्त्रित किये जायेगें। परियोजाना प्रस्तावों हेतु संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगीः–

- <u>तकनीकी चयन</u>

  सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह या उनके उच्च स्तरीय संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों में से उपयुक्त प्रस्ताव वाली संस्था का चयन/सूचीबद्ध उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित परियोजना चयन समिति के द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। यदि महिला स्वयं सहायता समूहों या उनके उच्च स्तरीय सगठनों के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो उन्हें टर्नओवर, पैन, टैन प्रमाणपत्र आदि में छूट दी जाएगी। समिति द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों में से अनुसूचित जनजाति महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर सबसे उपयुक्त नवाचार प्रस्ताव का चयन किया जाएगा। परियोजना चयन के समय आवश्यकता पड़ने पर संस्था को परियोजना प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया जायेगा।

- <u>वित्तीय चयन</u>

  परियोजना संचालन हेतु सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा मदवार बजट प्रस्तुत करना होगा। बजट की प्रत्येक मद को परियोजना चयन समिति के द्वारा जांच कर स्वीकृत किया जायेगा। बजट औचित्य परियोजना प्रस्ताव के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के समय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

5. चयन समिति

मुख्य कार्यकारी अधिकारी USRLM की अध्यक्षता में परियोजना की संचालन एवं तकनीकी समिति द्वारा विज्ञापन के माध्यम से परियोजना कियान्वयन हेतु मांगे गये प्रस्तावों का परीक्षण एवं आंकलन किया जायेगा। उपयुक्त प्रस्ताव का चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

6. परियोजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

परियोजना का संचालन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, देहरादून के माध्यम से किया जायेगा।इस हेतु प्रशासनिक व्यय के रुप में कुल परियोजना लागत का 1.5प्रतिशत होगा। उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, देहरादून के द्वारा योजना के नियोजन एवं सफल कार्यान्वयन के

लिए संगत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक निर्णय लेंगे एवं कार्यों की समीक्षा करेगे। जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः–

लाभार्थी चयनः

लाभार्थियों का चयन क्रियान्वयन एंजेन्सी के द्वारा सम्बन्धित योजना के अनुसार किया जायेगा। लाभार्थी उत्तराखण्ड आजीविका ग्रामीण मिशन अथवा अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य होगा।

परियोजना कार्यक्रमः

इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम, संस्थागत एवं क्षमता विकास पर आधारित होना चाहिये। कौशल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम इस योजना में सम्मिलित नही किये जायेंगे। स्वरोगार पर आधारित कार्यक्रम में स्वरोगार उपलब्धता का औचित्यपूर्ण विवरण का उल्लेख प्रस्ताव में होना आवश्यक है।

7. वाद का निपटारा

किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में राज्य मिशन निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन देहरादून का निर्णय मान्य होगा।

8. परियोजना प्रस्ताव हेतु संस्था के चयन मानक–

संस्था के चयन हेतु तकनीकी प्रपत्र

क्र.सं.	मद	विवरण	प्राप्तांक
1	पंजीकरण की जानकारी		
	सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत संस्था, डे एन.आर.एल.एम के तहत पंजीकृत समूह/संगठन अथवा उत्तराखण्ड को–आपरेटिव एक्ट 2003 के तहत पंजीकृत सोसाइटी।	अनिवार्य	
2	एंजेन्सी की अवस्थापना सुविधाओं तथा प्रशासनिक विवरण	कुल 15 अंक	
अ	संस्था/संगठन का नाम, पता एवं टेलीफोन नं. सम्पर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता व टेलीफोन नं. संस्था/संगठन की वस्तुस्थिति/ रजिस्ट्रेशन/ वेबसाइट एवं ईमेल	विवरण संलग्न किया जाय।	
ब	संस्था का भवन / किराये संम्बधित दस्तावेज संस्था का बोर्ड लगा फोटोग्राफ संलग्न किया जाय। सम्बन्धित परियोजना हेतु स्टाफ एवं प्रस्तावित स्टाफ तथा क्षमता विवरण।	05	
स	संस्था/संगठन का अपना प्रशासनिक कार्यालय व परियोजना संचालन हेतु प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण स्टाफ का विवरण। अंक प्रशिक्षण स्टाफ की संख्यानुसार	20 स्टाफ या अधिक – 10 अंक 15 स्टाफ से अधिक – 08 अंक 10 स्टाफ से अधिक – 05 अंक	

	दिया जायेगा।	05 स्टाफ से अधिक – 02 अंक	
3	**वित्तीय अभिलेख एवं टर्नओवर संबधी विवरण**	**कुल 15 अंक**	
	संस्था का पिछले 3 वर्षो का कुल टर्नओवर (25 लाख प्रतिवर्ष न्यूनतम अनिवार्य) पिछले तीन वर्षो के वित्तीय अभिलेख (चार्टड ॲकाऊन्टेंट द्वारा सत्यापित बैंलेन्स सीट, आय व्यय तथा प्राप्ति भुगतान अभिलेख एवं आई.टी.आर.) भी संलग्न करे।	100 लाख से अधिक – 15 अंक 75 लाख से अधिक – 10 अंक 50 लाख से अधिक – 05 अंक 25 लाख से अधिक – 02 अंक	
4	राज्य में संस्था/संगठन का प्रचालन क्षेत्र (पूर्व में केन्द्र अथवा राज्य सरकार के साथ जनपदों में प्रशिक्षण दिये जाने सम्बधी प्रमाण)	05 से अधिक जनपदों में – 10 अंक 04 से अधिक जनपदों में – 07 अंक 03 से अधिक जनपदों में – 04 अंक	
5	**संस्था के अन्य प्रमाण पत्र** पैन न., टैन न., टीएसटी न. एवं ISO प्रमाण पत्र। सेवाकर संख्या, ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. (कृपया साक्ष्य संलग्न करें)	**05 अंक**	
6	**संस्था का कार्यानुभव सम्बधी विवरण**	**कुल 10 अंक**	
अ	केन्द्र अथवा राज्य सरकार के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण / रोजगार परक प्रशिक्षण सम्बन्धित अनुभव का प्रमाण।	5 अंक	
ब	केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी संस्थान में कर्मचारियों को प्रशिक्षण का अनुभव	केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु 05 अंक केन्द्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण हेतु 05 अंक राज्य सरकार के कर्मचारी हेतु 03 अंक	
7	**अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु कार्यनुभव सम्बन्धित विवरण**	**कुल 40 अंक**	
अ	अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं की आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार से सम्बन्धित अनुभव।	10 अंक	
ब	जैविक खेती, इलेक्ट्रिशियन, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, पाली हाउस नर्सरी, मशरुम, फैशन डिजाइनिग, कारपेन्ट्री वर्क, कम्प्यूटर एवं ब्यूटीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना क्रियान्वित करने का अनुभव।	10 अंक	
स	युवाओं के क्षमता निर्माण, रोजगारपरक योजना तथा स्वरोजगार की स्थिति में स्वरोजगार प्रदान करने का अनुभव व विवरण।	10 अंक	
द	उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं की आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार से सम्बन्धित परियाजना चलाने का अनुभव।	10 अंक	

8	संस्था का अपना बेव आधारित एम.आई.एस. पोर्टल का अनुभव।	05 अंक	
	कुल अंक	100	

a) उपरोक्त तालिका में विवरण के साथ अधिकतम अंक निर्धारित है। अंको का निर्धारण प्रो–रेटा आधार पर किया जायेगा।

b) किसी भी प्रकार के निर्णय हेतु समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

संस्था को सूचीबद्ध करने हेतु चेकलिस्ट सूचीः

- ऐजेन्सी का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं स्मृति पत्र।
- ऐजेन्सी की क्षमता एवं अनुभव स्टाफ, आधारभूत संरचना, राज्य में कार्यानुभव, तथा प्रचालन क्षेत्र का विवरण, कार्यानुभव विवरण।
- ऐजेन्सी का पूर्व में राज्य के जनपदों में अपने प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण। विगत तीन वर्षों में पर्वतीय जनपदों में प्रशिक्षण केन्द्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करे।
- सरकारी अनुदान एवं परियोजनाओं के अलावा प्रशिक्षण कार्य का अनुभव तथा प्रशिक्षण विवरण।
- गत तीन वर्षों में उत्तराखण्ड राज्य में कार्य करने का अनुभव प्रमाण।
- राज्य विगत तीन वर्षों (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) की आडिट रिर्पोट एवं बैंलेन्स सीट, आय व्यय तथा प्राप्ति एवं भुगतान रिपोर्ट।
- विगत तीन वषों की प्रगति विवरण (Annual Report)
- रिपोर्ट चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा जारी विगत तीन वर्षो का टर्नओवर सर्टिफिकेट
- रु0 100/ के स्टाम्प पेपर पर नोटरी किया हुआ ऐजेन्सी द्वारा इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र कि संस्था किसी विभाग में काली सूची में दर्ज न हो एवं किसी भी विभाग में कार्य पूर्ण न होने की दशा में अथवा किसी कारण ऐजेन्सी से पैनेल्टी/जुर्माना न वसूला गया हो का।
- ऐजेन्सी के प्रतिनिधि हेतु Authorization Letter लेटर हेड पर प्रतिनिधि हस्ताक्षर सत्यापित किये हुये।
- इन्डेक्स सूची विवरण पृष्ठ संख्यानुसार प्रपत्र संलग्न करे अन्यथा सम्बन्धित प्रस्ताव अस्वीकार किया जायेगा ।

- परियोजना प्रस्ताव की हस्ताक्षरित हार्ड कापी जमा करने के साथ–साथ परियोजना प्रस्ताव MS-Word Format में उपलब्ध करायें।

परियोजना प्रस्ताव प्रपत्र

1. परियोजना प्रस्ताव शीर्षक
2. संस्था का नाम पता एवं सम्पर्क विवरणः
3. वैधानिक स्थितिः
4. उत्तरदायी व्यक्ति का नाम पता एवं फोन न0ः
5. परियोजना हेतु आवेदित जनपद। (आवेदित जनपद का आचित्य एवं जनपद में संस्था की उपस्थिति एवं अन्य विवरण)
6. परियोजना विवरण एवं औचित्य :...
7. लाभार्थी चयन विवरण संक्षेप में।
8. स्वरोजगार हेतु विवरण। स्वरोजगार देने की प्रक्रिया लाभार्थी के स्वरोजगार हेतु वित्तीय व्यस्था/बैंक लिंकेज की व्यवस्था तथा अन्य विवरण स्पष्ट कीजिये।
9. संस्था का संक्षिप्त इतिहास
10. अन्य सरकारी संस्थान/विभाग द्वारा परियोजना/प्रशिक्षण विवरण

क्रम	परियोजना का नाम	विभाग का नाम	लाभार्थी	परियोजना क्षेत्र	लागत विवरण	प्रमाण संलग्नक विवरण (पृष्ठ संख्या)
1						
2						
3						
....						

11. स्वयं के संसाधनों से किया हुआ प्रशिक्षण कार्य विवरण/अनुभव।
12. ऐजेन्सी की क्षमता एवं अवस्थापना विवरण। (संस्था की स्टाफ, क्षमता, आधारभूत संरचना, जनपदों में अवस्थापना विवरण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण दें।)।
13. परियोजना कार्यक्रम के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं की आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार से सम्बन्धित विवरण।
14. अपनायी जाने वाली कार्ययोजना तथा परियोजना की विस्तृत कार्य प्रणाली, क्रियान्वयन विवरण।